

भारत सरकार  
रेलमंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. हिंदी-2012/वि-1/9/1

नई दिल्ली, दिनांक 03.02.2012.

महाप्रबंधक (राजभाषा),  
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

**विषय : मानदेय के आधार पर मैनुअलों/संहिताओं/नियम पुस्तकों/  
नियमों/तकनीकी साहित्य आदि का हिंदी-अंग्रेजी अनुवाद ।**

उपर्युक्त विषय पर कृपया रेलवे बोर्ड के दिनांक 17.3.99 के पत्र सं. हिंदी-98/वि-1/9/1 का अवलोकन करें जिसमें रेलवे के मैनुअलों/संहिताओं/नियम पुस्तकों/नियमों (जिनमें स्टेशन संचालन नियम भी शामिल है) तथा तकनीकी साहित्य आदि के अनुवाद, परिशोधन और टंकण के लिए मानदेय की दरें निर्धारित की गई हैं ।

रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय ने रेलवे के मैनुअलों/संहिताओं/नियम पुस्तकों/नियमों (जिनमें स्टेशन संचालन नियम भी शामिल है), तकनीकी साहित्य तथा सभी प्रकार के दस्तावेजों के अनुवाद, परिशोधन और टंकण के लिए पूर्व दरों में संशोधन करते हुए निम्नलिखित दरें निर्धारित की हैं :-

अनुवाद के लिए	:	45/- रु. प्रति पृष्ठ (300 शब्द)
अनुवाद के परिशोधन के लिए	:	18/- रु. प्रति पृष्ठ (300 शब्द)
टंकण के लिए	:	12/- रु. प्रति पृष्ठ (300 शब्द)

- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अनुवादकर्ता, रेल अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया अनुवाद इस कोटि का हो कि उसके परिशोधन की आवश्यकता न हो और अनुवादकर्ता इस आशय का प्रमाण-पत्र भी दे तथा सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि अनुवाद के परिशोधन की आवश्यकता नहीं है और अनुवाद की टाइपिंग भी की गई हो तो अनुवादकर्ता को 75/- रु. प्रति पृष्ठ (300 शब्द) की दर से मानदेय मंजूर किया जा सकता है ।
- जब किसी रेलवे/रेल कार्यालय को कोई अनुवाद कार्य मानदेय के आधार पर कराने की आवश्यकता पड़े तो उस रेलवे/रेल कार्यालय को सके अपने सह वित्त की सहमति प्राप्त करनी जरूरी है ।
- उपर्युक्त दरें मैनुअलों/संहिताओं/नियम पुस्तकों/नियमों/तकनीकी साहित्य तथा सभी प्रकार के दस्तावेजों के अनुवाद के लिए निर्धारित की गई हैं ।
- मानदेय की ये संशोधित दरें इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू मानी जाएंगी ।
- यह पत्र रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है ।

हस्ता./-  
( श्रीनिवास सिंह )  
उप निदेशक (राजभाषा)  
रेलवे बोर्ड

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)**

No. Hindi-2012/Special-I/9/1

New Delhi, dt.03.02.2012

**The General Managers (Rajbhasha),  
All Zonal Railways & Production Units**

**Sub : Hindi-English translation of Codes/Manuals/Rule Books/  
Rules and Technical Literatures etc. on honorarium basis.**

Kindly refer to **Board's letter No. Hindi-98/Special-I/9/1 dated 17.03.99** wherein rates of honorarium for translation, vetting and typing of Railway Manuals, Codes, Rule Books, Rules (including Station Working Rules) and Technical Literatures etc. were prescribed.

The Finance Directorate of Railway Board has prescribed the following rates, revising the earlier rates of honorarium for translation, vetting and typing of Manuals, Codes, Rule Books, Rules (including Station Working Rules), Technical Literatures and all types of documents.

Translation	:	₹45/- per page (300 Words)
Vetting	:	₹18/- per page (300 Words)
Typing	:	₹12/- per page (300 Words)

2. It is also clarified that if translation done by a Railway Officer/Employee is of such a standard as it does not require any vetting and a certificate to this effect is furnished by the translator, and also the competent authority is satisfied that the translation does not require any vetting and typing, the translator can be sanctioned honorarium of ₹75/- per page (300 Words).
3. Whenever any Railway/Railway Office intends to get any translation work done on honorarium basis, that Railway/Railway Office will have to obtain concurrence of their associate finance.
4. The above rates have been prescribed in connection with the translation of Manuals/ Codes/Rule Books, Rules, Technical Literatures and all types of documents.
5. These revised rates of honorarium will take effect from the date of issue of this letter.
6. This letter is being issued with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Sd/-  
( Shrinivas Singh )  
Dy. Director (O.L)  
Railway Board